NIC

तत्काल

संसदीय मामला

फ.सं. एच-11015/03/2017-संसद.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

संसद अनुभाग

******

कमरा सं. 227, सी-विंग
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13 जनवरी, 2017

विषय:- लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के संबंध में।

अद्योहस्ताक्षरी को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में लोक सभा में 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए लंबित मामलों की सूची पत्र के साथ अग्रेषित करने और यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आपके विंग/डिविजन/अनुभाग के संबंध में लम्बित मामलो के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कारवाई की जाए।

2. ऐसे मामलों के उत्तर, सदन में उठाई गई तिथि से एक महीने के भीतर संबंधित सदस्यों को भेजा जाना आवश्यक होता है। ऐसे मामले में जहां इन मामलों मे से किसी एक पर भी माननीय सदस्यों को पहले ही अंतिम उत्तर भेजा जा चुका है तो इसकी एक प्रतिलिपि संसदीय कार्य मत्रालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय और इस अनुभाग को प्रतिलिपि भेजी जाए ताकि इसे आपके विंग/डिविजन के समक्ष दशाई गई लंबित सूची से हटाया जा सके।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 18/01/2017 तक अद्योहस्ताक्षरी को प्रत्येक मामले के लंबित होने संबंधी विस्तृत कारण प्रस्तुत की जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि संसद अनुभाग की रिकार्ड के साथ आपके विंग/डिविजन/अनुभाग के लंबित मामले की रिकार्ड की तुलना करते समय यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इसे भी तत्काल सूचित किया जाए।

सलग्न. यथोक्त.

12/01/17

(आर.एन.दीक्षित)
अवर सचिव(संसद)
दूरभाग- 23719033

सेवा में

1. महानिदेशक (एनएमसीजी)
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं भूजल
3. संयुक्त सचिव (पीपी एवं पीआर)
4. आयुक्त (एसपीआर)/ आयुक्त (गंगा)
5. आयुक्त (सिंधु)/ आयुक्त (बी एंड बी)
6. वरिष्ठ आयुक्त (बीएम)/ वरिष्ठ आयुक्त (पीपी)
7. निदेशक (भूजल)/ उप सचिव (ई. III)

प्रतिलिपि:

निदेशक (एनआईसी) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए।